कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 873 /11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 29 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषयः– साउथ ईस्ट यूपी पॉवर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे0 संरक्षित एवं 1.1391 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 113 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.7069 हे0 संरक्षित एवं 6.2790 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4058 वृक्ष/पौधे के पातन अर्थात 3.3788 हे0 संरक्षित एवं 7.4181 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 10.7969 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4417 बाधक वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा विषयगत ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। ऑनलाइन प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन में निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

<u>ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर पायी गयी कमियॉंः–</u>

1. सभी सम्बन्धित वन प्रभागों की के0एम0एल0 का क्षेत्रफल Segment Area में फीड किये गये क्षेत्रफल से भिन्न है। अतः सही के0एम0एल0 फाइल, Segment Area में सही क्षेत्रफल सहित अपलोड करें तथा के0एम0एल0 फाइल में गैर वनभूमि को भी Red colour से दर्शाते हुये Continuty में पूर्ण के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।
2. सभी सम्बन्धित वन प्रभागों की ऑनलाइन अपलोड किया गया प्रस्तावित वनभूमि की Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त बिन्दु सं0–1 के अनुसार संशोधित Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet यथास्थान पर अपलोड करें।
3. ऑनलाइन अपलोड लागत लाभ विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है तथा इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अतः इसे डिलिट करें।
4. सभी सम्बन्धित वन प्रभागों की प्रस्तावित वनभूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित वनभूमि की गणना ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
6. प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करने एवं एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
7. भूमि स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
8. ऑनलाइन अपलोड की गयी गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति सभी सम्बन्धित वन प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा सत्यापित एवं चिन्हित नहीं है। अतः सभी सम्बन्धित वन प्रभागों की अलग–अलग गजट नोटिफिकेशन की चिन्हित एवं प्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड करें।
9. सभी सम्बन्धित वन प्रभागों का वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता/FRA प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
10. तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map & kml फाइल एवं तुलनात्मक जस्टीफिकेशन ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
11. प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता अपलोड नहीं है।
12. ऑनलाइन के क्रमांक–B-2.3 Village wise breakup एवं क्रमांक–B-2.4 Component wise breakup में गैर वनभूमि का योग गलत है।

D/m
Amoograal
CF
30/9/23

ऑनलाइन पार्ट–2 में प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित है, जिसे उन्नाव वन प्रभाग द्वारा भरा जाना है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित अभिलेख यथा Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन को धनराशि सहित ऑनलाइन से डिलिट करें।
2. पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
3. ऑनलाइन अपलोड किये गये सेन्चुरी/वन्यजीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना सेन्चुरी/वन्यजीव विहार से 10 किमी0 की परिधि/ESZ से बाहर स्थित है अथवा नहीं?
4. पूर्ण प्रस्ताव की सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड नहीं है।
5. प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हिन्दी भाग–2 ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
6. कवरिंग लेटर तथा इस कार्यालय द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट कॉलम में टिक (√) करके चेक लिस्ट अपलोड नहीं है।
7. ऑनलाइन के क्रमांक–16 में संस्तुति के स्थान पर गलत पत्र अपलोड है। अतः इसे डिलिट कर संस्तुति का भाग–2 अपलोड करें।

ऑनलाइन पार्ट–2 में प्रभागीय निदेशक, कानपुर नगर के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–

1. परियोजना में पातन होने वाले बाधक वृक्षों का व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची एवं सारांश/गोशवारा अपलोड नहीं है।
2. पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
3. ऑनलाइन अपलोड की गयी एन0पी0वी0 की गणना में दर गलत ली गयी है। अतः सही दर के अनुसार संशोधित गणना ऑनलाइन अपलोड करें।
4. ऑनलाइन अपलोड किये गये सेन्चुरी/वन्यजीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना सेन्चुरी/वन्यजीव विहार से 10 किमी0 की परिधि/ESZ से बाहर स्थित है अथवा नहीं?
5. पूर्ण प्रस्ताव की सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड नहीं है।
6. कवरिंग लेटर तथा इस कार्यालय द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट कॉलम में टिक (√) करके चेक लिस्ट अपलोड नहीं है।

ऑनलाइन पार्ट–2 में प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–

1. पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
2. प्रभागीय निदेशक की संस्तुति का हिन्दी भाग–2 ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
3. कवरिंग लेटर तथा इस कार्यालय द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट कॉलम में टिक (√) करके चेक लिस्ट अपलोड नहीं है।
4. पूर्ण प्रस्ताव की सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड नहीं है।

ऑनलाइन पार्ट–2 में प्रभागीय निदेशक, उन्नाव के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–

1. सी0ए0 के प्राक्कलन में सेंटेज चार्ज लिया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः बिना सेंटेज चार्ज के 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित संशोधित प्राक्कलन धनराशि सहित अपलोड करें।
2. याचक विभाग तथा प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
4. पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड है, किन्तु अनुरक्षण के वर्षों में वृद्धि दर समाहित नहीं किया गया है।
5. ऑनलाइन अपलोड किये गये सेन्चुरी/वन्यजीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना सेन्चुरी/वन्यजीव विहार से 10 किमी0 की परिधि/ESZ से बाहर स्थित है अथवा नहीं?
6. अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
7. पूर्ण प्रस्ताव की सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड नहीं है।
8. कवरिंग लेटर तथा इस कार्यालय द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट कॉलम में टिक (√) करके चेक लिस्ट अपलोड नहीं है।

9. ऑनलाइन के क्रमांक–3 District wise area to be diverted in the division में डाटा फीड नहीं किया गया है।
10. परियोजना में 4058 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–4 एवं हार्डकापी भाग–2 में हरियाली घनत्व 0.01 फीड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही हरियाली घनत्व ऑनलाइन भाग–2 एवं हार्डकापी भाग–2 में अंकित कर अपलोड करें।
11. एन0पी0वी0 की गणना अपलोड है, किन्तु यदि हरियाली घनत्व संशोधित होता है तो संशोधित हरियाली घनत्व के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना ऑनलाइन अपलोड करें तथा हार्डकापी भाग–2 में भी संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि अंकित करें।
12. ऑनलाइन के क्रमांक–16 में मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति अपलोड नहीं है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् बिन्दुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर पूर्ण ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 873 /11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज एवं मैनपुरी।
4. महाप्रबन्धक (पारेषण), साउथ ईस्ट, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, लेवाना साइबर हाइट्स बिल्डिंग, पहली मंजिल, ऑफिस स्पेस–116, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा
पत्रांक / आगरा, दिनांक 20

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा० वा० प्रभाग, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में अपने प्रभाग की ओर उल्लिखित कमियों का निराकरण ऑन लाइन अपलोड कर सीधे मुख्य वन संरक्षक, [illegible] लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रेषित कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा

P-1305